



सप्तदश बिहार विधान सभा

षष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.06.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री रामबली सिंह यादव,
सं०वि०सं०
श्री विनय कुमार,
सं०वि०सं०
श्री समीर कुमार महासेठ,
सं०वि०सं०
श्री भरत बिन्द,
सं०वि०सं०
श्री सुधाकर सिंह,
सं०वि०सं०
श्री राकेश कुमार रौशन
सं०वि०सं०
श्री सुरेन्द्र मेहता,
सं०वि०सं०
श्री अरूण सिंह,
सं०वि०सं०

"माननीय विधायकों के लेटर पैड पर क्षेत्र विकास योजना की राशि का अनुशंसा किए महीनों गुजर जाते हैं लेकिन अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है और न उसे खारिज ही किया जाता है। जिस जमीन पर विकास सम्बन्धी योजनाओं का अनुशंसा किया जाता है उसी जमीन पर पंचायतों तथा अन्य माध्यमों द्वारा विकास कार्य संचालित रहता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर न मिलने के कारण योजनाएं देर से शुरू होती हैं तथा गुणवत्ता प्रभावित होती है। दिनांक 07.03.2022 को विधान सभा में विधायकों के लेटर पैड पर लिखा पत्र या अनुशंसा एक माह में न निपटाने वाले पदाधिकारियों पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला मानते हुए कार्रवाई की बात सुनिश्चित की गई थी, बावजूद उल्लंघन जारी है।

अतः राज्य में हो रहे प्रोटोकॉल उल्लंघन की जाँच कर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

सामान्य प्रशासन
/ योजना एवं
विकास

2. श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह,
संवि०स०
श्रीमती प्रतिमा कुमारी,
संवि०स०

“राज्य में सभी पोस्ट पेड मीटर को हटाकर बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रीपेड / स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी है, परन्तु जो मीटर लगाया गया है उसमें शिकायत है कि रिचार्ज राशि तुरंत खत्म हो जाती है। मीटर की जाँच की व्यवस्था उपभोक्ताओं के पास नहीं है। प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था फेंचाइजी को दी गयी है जो जानबूझकर तेज चलने वाला मीटर लगा रहा है। इसका कोई आकलन नहीं किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं उस पर कितनी बिजली सप्लाई हुई और कितने की बिलिंग हुई? यदि लाईन लॉस को भी उसमें जोड़ दिया जाता है तो भी सप्लाई से 20 से 30 प्रतिशत अधिक बिजली बिल जनरेट हो रहा है।

अतः सही प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं से हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”


पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/2022- 2936 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2022 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/2022- 2936 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2022 ई०।


प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/2022- 2936 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2022 ई० ।
प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार
विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन
विभाग / योजना एवं विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/2022- 2936 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /
प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


27/6/22